2

तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :– 12/2022** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम सिगड़ी स्थित खाता संख्या 90 खसरा संख्या 232, 233 कुल किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 किस्म बारानी 1 में अजीम खां पुत्र बख्तावर खां हिस्सा 1/7 जाति कायमखानी सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त खाता संयुक्त खातेदारी का है। ग्राम सीगड़ी में पूछताछ करने पर पाया गया कि प्रार्थीया के पिता का नाम अजीम खां पुत्र बख्तावर खां होना जाहिर हुआ। उक्त बाबत अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तहसील मंडावा के ग्राम सीगड़ी की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 90 में प्रार्थीया के पिता का नाम अजीम खां पुत्र बख्तावर खां के स्थान पर आमीन खान पुत्र बख्तावर खान शुद्ध करने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील मंडावा के ग्राम सीगड़ी की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 90 में प्रार्थीया के पिता का अशुद्ध नाम अजीम खां पुत्र बख्तावर खां के स्थान पर आमीन खान पुत्र बख्तावर खान शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मंडावा को आदेशित किया जाता हे कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	